प्राथमिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली

इजलास श्री सुरेश कुमार यादव, R.A.S.

उनवान

1. मुकेश पुत्र श्री सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. ओमवती पत्नि मोमसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
2. गुमानसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
3. मानसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
4. सुमरनसिंह उर्फ सुमरू पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द
5. मोहनसिंह पुत्र जवाहर जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तह0हिण्डौन –मृतक

5/1. वीरेन्द्र पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन

5/2. राजवीर पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन

5/3. विनोद पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन

5/4. गुड्डी पुत्री मोहनसिंह पत्नि बबलू जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा

5/5. राजन्ती पुत्री मोहनसिंह पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा

5/6. मिथलेश पुत्री मोहनसिंह पत्नि अजय जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर

5/7. रामरती पत्नि मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन

6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली —— प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात मुकदमा नं0 22[illegible]/2020 बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री मुकेश वादी स्वंय मिन कानिब मुदई रूबरू .... मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 838 रकबा 0.30 है0, 848 रकबा 0.10 है0, 850 रकबा 0.09 है0, 857 रकबा 0.33 है0, 869 रकबा 0.15 है0, 871 रकबा 0.03 है0, 873/1413 रकबा 0.07 है0, 874 रकबा 0.05 है0, 899 रकबा 0.15 है0 ,125 रकबा 0.42 है0, 123 रकबा 0.27 है0,124 रकबा 0.57 है0, 126/1411 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के सहखातेदारों/पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार हिण्डौन को 500/-रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप उक्त विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। वादी/प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि बंटवारा कमीश्नर फीस 15 दिवस के अन्दर तहसीलदार हिण्डौन के यहाँ जमा करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.01.2021 को यह डिक्री जारी की गई।

15.01.2021

सुरेश कुमार यादव
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 228/2020
पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

तारीख रजू:– 13.07.2020

1. मुकेश पुत्र श्री सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ———————————————— वादी

बनाम

1. ओमवती पत्नि मोमसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
2. गुमानसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
3. मानसिंह पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
4. सुमरनसिंह उर्फ सुमरू पुत्र सम्पत जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द
5. मोहनसिंह पुत्र जवाहर जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तह0हिण्डौन –मृतक

5/1. वीरेन्द्र पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
5/2. राजवीर पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
5/3. विनोद पुत्र मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
5/4. गुड्डी पुत्री मोहनसिंह पत्नि बबलू जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा
5/5. राजन्ती पुत्री मोहनसिंह पत्नि कैलाश जाति जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा
5/6. मिथलेश पुत्री मोहनसिंह पत्नि अजय जाति जाट निवासी श्यारौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर
5/7. रामरती पत्नि मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली —— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात,
बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :– 15.01.2021

प्रार्थी का यह दावा प्रार्थी की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दर्ज किया गया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी ने दावा बाबत् तकास्मा आराजीयात,बेदखली एवं स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर खसरा नम्बर 838, 848, 850, 857, 869, 871, 873/1413, 874, 899, 123, 124, वाके ग्राम क्यारदा खुर्द तहसील हिण्डौन में प्रार्थी तन्हा व बहिस्सा 1/4 का खातेदार है तथा [illegible] खसरा नम्बर 126/1411,125 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द में प्रार्थी [illegible] बहिस्सा 1/[illegible] का खातेदार है तथा आराजी खसरा नम्बर 1027,1055,995/1409 [illegible] में प्रार्थी तन्हा बहिस्सा 1/8 का खातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजी[illegible] में प्रार्थी सहखातेदार है। प्रार्थी की उक्त आराजीयात का तकास्मा कराने का निवेदन किया है। प्रार्थी विकलांग है

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested.

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

तथा अपनी आजीविका के लिए प्रार्थी केवल उक्त खेती पर ही निर्भर है। प्रार्थी की भूमि के अन्य सहखातेदारान ने प्रार्थी की उक्त खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर रखा है और बंटवारा नहीं करते हैं तथा प्रार्थी को कुछ ही भूमि खेती करने के लिए दे रखी है।

अतः प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात का तकास्मा करवाकर प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा दिलवाने की कृपा करें।

प्रार्थी ने दिनांक 20.10.2020 को प्रार्थना पत्र बाबत् प्रार्थी की खातेदारी की जमीन पर तकास्मा कराकर कब्जा दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र में संशोधन कराने बाबत् पेश किया जिसमें अंकित किया है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की खातेदारी की जमीन पर तकास्मा कराकर कब्जा दिलाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिसमें प्रार्थी ने आराजी खसरा नम्बर 1027,1055,995/1409 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द में भी विभाजन चाहा गया था। उक्त भूमि नजराने पर प्राप्त (महकमा जिलेदारी अधिकृत) है। जिसमें प्रार्थी अब बंटवारा कराना नहीं चाहता है। प्रार्थी के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त आराजीयात को डिलेट फरमाते हुए शेष आराजी खसरा नम्बर 838,848,850,857,869,871,973/1413, 874,899,123,124,126/1411,125,843,844 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द का बंटवारा करते हुए अलग खाता कायम करने एवं मौके पर प्रार्थी को कब्जा दिलाने के आदेश तहसीलदार हिण्डौन को फरमावें। खसरा नम्बर 843 व 844 के सहखातेदार मोहनसिंह फौत हो चुका है। जिसके वारिसान वीरेन्द्र, राजवीर, विनोद पि0 मोहनसिंह, गुड्डी पुत्री मोहनसिंह पत्नि बबलू जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा, राजन्ती पुत्री मोहनसिंह पत्नि कैलाश जाट निवासी समसपुर तहसील महवा जिला दौसा, मिथलेश पुत्री मोहनसिंह पत्नि अजय जाट निवासी श्यारौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर, रामरति पत्नि मोहनसिंह जाति जाट निवासी क्यारदाखुर्द है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सहखातेदारों को नोटिस जारी किये गये। किन्तु बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए तथा दिनांक 17.07.2020 को तहसीलदार हिण्डौन ने पक्षकारान के मध्य बंटवारा किया जिसमें सहखातेदार मानसिंह, सुमरणसिंह, गुमानसिंह, मुकेश वगैराह के हस्ताक्षर हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी मुकेश एवं उक्त विवादित आराजीयात के सहखातेदारों के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तकास्मा विधिवत रूप से किये जाने में कोई आपत्ति किसी प्रकार की होना प्रतीत नहीं होता है।

प्रार्थी मुकेश ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 किता 5 पेश किये हैं।

प्रार्थी मुकेश उपस्थित। प्रार्थी मुकेश को एकतरफा में सुनाया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

नकल जमाबन्दी सं0 2071-74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 838 रकबा 0.30 है0, 848 रकबा 0.10 है0, 850 रकबा 0.09 है0, 857 रकबा 0.33 है0, 869 रकबा 0.15 है0, 871 रकबा 0.03 है0, 873/1413 रकबा 0.07 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

874 रकबा 0.05 है0, 899 रकबा 0.15 है0 कुल किता 9 कुल रकबा 1.27 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी ओमवती पत्नि मौमसिंह हि0 25/127, गुमानसिंह पुत्र सम्पत हि01/4,मुकेश पुत्र सम्पत हि01/4, मानसिंह पुत्र सम्पत हि01/4, सुमरणसिंह पुत्र सम्पत हि0 27/508 जाति जाट सा0देह खाातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 0.42 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुमानसिंह पुत्र सम्पत हि01/2, मुकेश पुत्र सम्पत हि01/2 जाति जाट सा0देह खाातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.27 है0,124 रकबा 0.57 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.84 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी गुमानसिंह पुत्र सम्पत हि01/2, मुकेश पुत्र सम्पत हि01/4, मानसिंह पुत्र सम्पत हि01/4 जाति जाट सा0देह खाातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 126/1411 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी नावालिग गुमानसिंह पुत्र सम्पत संरक्षक सरपरस्त पिता खुद हि01/2, नावालिग मुकेश पुत्र सम्पत संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि01/2 जाति जाट सा0देह खाातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादी/प्रार्थी मुकेश उक्त विवादित आराजीयात में रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार है तथा अपने राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज अपने हिस्से के अनुसार उक्त विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकास्मा कराने का अधिकारी साबित है। ऐसे हालात में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर तहसीलदार हिण्डौन को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर बंटवारा स्कीम तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। यदि किसी सहखातेदार को बंटवारा किये जाने में कोई आपत्ति होती तो बाद तामील इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र करता किन्तु ऐसा किसी भी खातेदार ने नहीं किया है। ऐसे हालात में वादी का दावा प्राथमिक डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् डिवीजन ऑफ होल्डिंग, बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा प्राथमिक डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 838 रकबा 0.30 है0, 848 रकबा 0.10 है0, 850 रकबा 0.09 है0, 857 रकबा 0.33 है0, 869 रकबा 0.15 है0, 87[illegible] 0.03 है0, 873/1413 रकबा 0.07 है0, 874 रकबा 0.05 है0, 899 रकबा 0.15 है0, 125 रकबा 0.42 है0, 123 रकबा 0.27 है0,124 रकबा 0.57 है0, 126/1411 रकबा 0.23 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन के सहखातेदार पक्षकारान के मध्य बंटवारा करने के आदेश दिये जाते हैं तथा तहसीलदार हिण्डौन को 500/–रूपया फीस पर बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि आप उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Scanned by CamScanner

विवादित आराजीयात के मौके पर पहुँचकर पक्षकारान के मध्य अच्छी में से अच्छी और बुरी में से बुरी के आधार पर बंटवारा कर बंटवारा स्कीम मय ट्रेस 2 प्रतियों में तैयार कर इस न्यायालय में पेश करें। उपरोक्तानुसार प्राथमिक पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। वादी/प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि बंटवारा कमीश्नर फीस 15 दिवस के अन्दर तहसीलदार हिण्डौन के यहॉं जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 15.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.01.2021

(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.01.15 17:14:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner